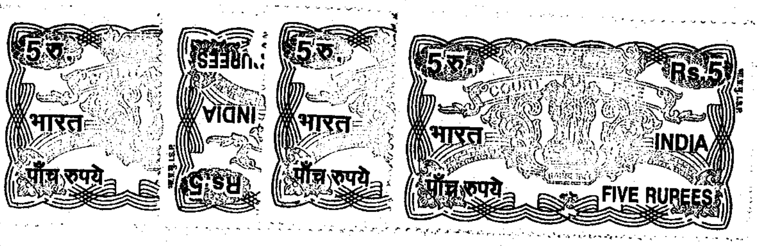

मानननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल

P 1263-PBR/17 प्र0कं0............................../17

आत्माराम आ0श्री केशोराम
कृषक एवं निवासी–ग्राम पुराछिंदवाड़ा,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल––– **आवेदक**

विरूद्ध

लक्ष्मीबाई पुत्री अवधनारायण वगैरह
कृषक एवं निवासी–ग्राम पुराछिंदवाड़ा,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल––– **अनावेदिका**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश अपर तहसीलदार तहसील हुजूर वृत्त कं.1 भोपाल लक्ष्मीबाई विरूद्ध आत्माराम प्र.कं.6/अ–70/16–17 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2017 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत है

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है –

(1) यह कि पुनरीक्षण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय के धारा–250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0कं0–6/अ–70/16–17 दर्ज किया। आवेदक को सूचना पत्र प्राप्त हुआ तथा आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया कि उक्त सीमांकन में आवेदक को सूचना पत्र नहीं दिया गया। अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया तथा सीमांकन के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन प्रस्तुत किया है।

(2) यह कि दिनांक 08.11.2017 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.11.2016 को आवेदक साक्ष्य के पेश की गयी। दिनांक 30.11.2016 को आवेदक को

निरंतर...2...

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

1263-

भाग-अ

R-PBR/17

प्रकरण क्रमांक ....

.... आत्माराम .... विरुद्ध .... लक्ष्मीबाई

तहसील .... जिला .... भोपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.......... जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक..........

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.......... तहसील का प्रकरण क्रमांक..........

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला न.दे. होश.......... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.... 7-4-17 .... के विरुद्ध श्री .... धीरेन्द्र मिश्रा .... के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.......... ....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
26.4.2017	आवेदक की ओर से श्री धीरेन्द्र मिश्रा अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। उनका केवल यही तर्क है कि आवेदिका को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध नहीं कराया	

[पीछे देखिये

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	जा रहा है। अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि आवेदिका के साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण का उपलब्ध कराकर प्रकरण के निराकरण करें। अध्यक्ष	26/4